RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 10/2026

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह सिंह जाति राजपूत, निवासी जसोल, जिला बालोतरा। हाल प्रो. श्री भटियाणीसा एच पी गैस एजेन्सी, जसोल, बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 27.02.2026 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने दिनांक 05.12.2024 को दौराने कार्यवाही जब्त 435 सिलेण्डरों की सुपुर्दगी के संबंध में जांच करने हेतु पहुंचे। जहां मौके पर अप्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह व सूर्यप्रताप उपस्थित मिले। मौके पर कुल सिलेण्डर 14 जब्त किये गए, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	एस आर नं.	गैस कम्पनी का नाम	भरे हुए सिलेण्डर का वजन वनज (कि.ग्रा)	खाली सिलेण्डर का वनज (कि.ग्रा)	शुद्ध गैस का वनज (कि.ग्रा)
1.	0000491	HP	38.0	19.3	18.7
2.	Erosed	HP	38.1	19.1	19.0
3.	Erosed	HP	38.1	19.1	19.0
4.	011992	HP	38.6	19.6	19.0
5.	508192	HP	38.4	19.4	19.0
6.	010428	HP	38.0	19.0	19.0
7.	443388 E	HP	38.4	19.4	19.0
8.	009770 T	HP	38.6	19.6	19.0
9.	0000211	HP	38.0	19.0	19.0
10.	059293	HP	38.3	19.3	19.0
11.	90928	HP	38.6	19.6	19.0
12.	Erosed	HP	38.3	19.3	19.0
13.	Erosed	HP	38.4	19.4	19.0

जिला कलक्टर बालोतरा

14.	0014676	HP	38.1	19.1	19.0

2. प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि दिनांक 05.12.2024 को श्री जितेन्द्र सिंह/मोहन सिंह के कब्जे से 435 सिलेण्डरों को जब्त कर अग्रिम आदेशों तक श्री भटियाणिसा एच.पी. गैस एजेन्सी को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये थे, जिसकी वस्तु स्थिति व भौतिक सत्यापन की जांच हेतु हम मौका स्थल पर पहुंचे। मौके पर श्री जितेन्द्र सिंह/मोहनसिंह मिले जिन्होने स्वयं को फर्म का प्रोपराईटर बताया। श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया की उन्होने उनको सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये सिलेण्डरों का विक्रय कर दिया हैं। जिस संबंध में पृथक से प्रकरण बनाकर राजकीय आदेश का उल्लंघन कर सुरक्षित रखने हेतु दिये गये सिलेण्डरों को अविधिक रूप से विक्रय करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने हेतु पुलिस थाना जसोल को पत्र प्रेषित किया गया हैं। इसके अलावा वक्त जांच मौके पर ऑफिस से संलग्न बाड़े में 03 लोडिंग गाड़िया खड़ी मिली, जिनमे से 02 गाड़िया सिलेण्डरों से भरी हुई एवं 01 खाली गाड़ी पार्क की हुई मिली। गाड़ी संख्या RJ39GA7333 टाटा वेन (खाली), गाड़ी संख्या RJ39GA8396 टाटा वेन (सिलेण्डरों से भरी) एवं 01 सिलेण्डरों से भरी अन्य गाड़ी, जिसपर नम्बर प्लेट नहीं लगी थी, खड़ी पायी गयी। साथ ही मौके पर 14 व्यावसायिक सिलेण्डर बाड़े में रखे हुए पाये गये, श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा मेरे मना करने के बावजूद उन 14 व्यावसायिक सिलेण्डरों को गाड़ी संख्या RJ39GA7333 टाटा वेन में लोड करवा दिये गये। जिस पर उन्हें बताया गया की उनका यह कृत्य राजकार्य में बाधा के समतुल्य हैं। उनसे उक्त स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में सिलेण्डर संधारित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगे गये लेकिन श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया की उनके पास उक्त स्थल का PESO लाईसेंस नहीं हैं, चूंकि दिनांक 05.12.2024 को जिला रसद कार्यालय बालोतरा की टीम द्वारा इसी स्थान से 435 एलपीजी सिलेण्डरों को जब्त किया गया था तथा उन्हें चेतावनी भी दी गयी थीं कि आबादी क्षेत्र मे इस प्रकार एलपीजी सिलेण्डरों का भण्डारण करना न सिर्फ आपके लिये खतरनाक है बल्कि आस–पास की रहवासी आबादी की जानमाल को भी खतरे में डालती हैं। लेकिन श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा लगातार एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण) आदेश 2000 का उल्लंघन कर पुनः उसी स्थान पर एलपीजी सिलेण्डरों का भण्डारण कर लोगों की जान को खतरे में डाला गया है एवं कार्यवी के दौरान स्वयं को राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताकर जांच कर रही टीम को धमकाया गया। चूंकि उक्त गाडियों में भरे सिलेण्डरों को जब्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन जमीन पर रखे हुए बकाया 14 सिलेण्डरों को जब्त कर उनकी तलपट्टी बनाई गयी। साथ ही उक्त जब्त किये गैस सिलेण्डर भण्डारण का स्थान जसोल ग्राम के आबादी क्षेत्र में था, इसके आस पास बड़ी आबादी है तथा यहां विस्फोट होने से बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। श्री जितेन्द्र सिंह का उक्त कृत्य LPG (Regulation of supply and distribution) order 2000 के क्लॉजों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स गगराना गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री भूटे खां/निहालखां को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिवद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।
4. अप्रार्थी के अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के नाम श्री भटियाणीसा एच पी गैस एजेन्सी, जसोल है। गैस ऐजेन्सी का गोदाम में उक्त टंकिया रखी हुई थी। गैस एजेन्सी का गोदाम जसोल की आबादी के बाहर है, जिससे वहां रखना कोई खतरा नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे। स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के बाड़े पर घरेलु गैस सिलेण्डर का मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स गगराना गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री भूटे खां/निहालखां को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 29.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(सुशील कुमार)
बालोतरा
जिला कलक्टर, बालोतरा